अपील सूचना अधिकार संख्या 77/2019 (RCMS 2019/00223) डॉ. राजेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री फतेह सिंह भाटी निवासी भवानी निकेत, पूर्वा गेस्ट हाउस के पास, सरदारशहर, जिला चुरू (राज.) बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

31.12.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राजेन्द्र सिंह भाटी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपत करने, अनुशासनात्मक कार्यवाकी करने एवं निःशुल्क सूचना दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राजेन्द्र सिंह भाटी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. मेरे द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक C/2524/2019 दिनांक 15.07.2019 जरिये पंजीकृत पत्र RR938437763IN (प्रति संलग्न है) आपके कार्यालय में प्रेषित दिनांक 22.07.2019 पर आपके कार्यालय द्वारा आज दिनांक तक संस्थित की गई कार्यवाही मय नोटशीट की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रतियों में)
2. उक्त पत्र पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की गई है तो किन नियमों एवं आदेशों के तहत, उन नियमों एवं आदेशों की प्रमाणित प्रतियाँ। (दो प्रतियों में)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Web Copy - Not Official

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को लिखते हुए अपने पत्रांक एफ17(1)न्याय/2019/13313—14 दिनांक 03.12.2019 से प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करते हुए निम्नानुसार जवाब प्रस्तुत किया है।

क्र.सं	बिन्दु	जवाब
1	मेरे द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक C/2524/2019 दिनांक 15.07.2019 जरिये पंजीकृत पत्र RR938437763IN (प्रति संलग्न है) आपके कार्यालय में प्रेषित दिनांक 22.07.2019 पर आपके कार्यालय द्वारा आज दिनांक तक संस्थित की गठ कार्यवाही मय नोटशीट की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रतियों में)	बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना संलग्न है।
2	उक्त पत्र पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की गई है तो किन नियमों एवं आदेशों के तहत, उन नियमों एवं आदेशों की प्रमाणित प्रतियाँ। (दो प्रतियों में)	

उक्त सूचना के सम्बन्ध में अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ17(1)( )न्याय/2019/12774—99 दिनांक 26.11.2019 से सम्बन्धित को लिखते हुए, अपीलार्थी को अपने पत्रांक सम/2019 /1300 दिनांक 26.11.2019 से निम्नानुसार सूचित किया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी श्री डॉ. राजेन्द्र सिंह भाटी, मॉ बाला सती लॉ एसोसिएटस, रावत शॉपिंग माल, बाल मन्दिर स्कूल के पास, दूगड विद्यालय रो मुख्य बाजार, सरदार शहर, चुरू द्वारा दिनांक 15.07.2019 को प्राप्त प्रार्थना पत्र की छाया प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। अतः आप नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करावें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकी अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनएं प्रश्नात्मक है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है** जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** बिन्दु संख्या 1 व 2 के सम्बन्ध में **अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा दिया गया उक्त उत्तर सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर